wise during the last three years; and

(c) what are the targets fixed district-wise during the last two years in this regard alongwith the progress made so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No specific areas has been selected for forest conservation. Government of Gujarat proposes to conserve forests in the entire state.

(b) During the last two years, the district-wise area added under forests is as under:

(i) Banaskantha	0.61 (Sq.km.)
(ii) Bhavnagar	0.04
(iii) Junagarh	0.01
(iv) Mehsana	0.01
(v) Sundernagar	5.86
(vi) Vadodara	0.06

(c) No district-wise target have been fixed.

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

987. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन न होने पाए।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन के मामलों पर इसके कार्यान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

Projects Pending Environmental Clearance

988. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of developmental projects pending with Ministry of Environment and Forests awaiting environmental clearance;

(b) the broad reasons for keeping these projects pending; and

(c) the steps taken to facilitate speedy disposal of cases?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A statement listing names of development projects awaiting environmental clearance along with reasons is given at annexure. [*see* Appendix CLXVI, Annexure No. 19]

(c) Projects can be assessed and processed only after receipt of complete data. A final decision is taken within a maximum period of three months after receipt of complete environmental data and Action Plans. Interaction is maintained with the project authorities to facilitate expeditious disposal of cases.

राजस्थान में वन-क्षेत्र में अवैध खनन-कार्य

989. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के कुल कितने वन क्षेत्र में अवैध खनन-कार्य चल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि यह अवैध कार्य वन-विभाग की मिलीभगत से हो रहा है, यदि नहीं, तो अवैध खनन कार्य को न रोकने के क्या कारण हैं;

(ग) वन-क्षेत्रों में अवैध खनन-कार्य कब तक बंद हो जाने की संभावना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के पश्चात् वनों के नाश और वन क्षेत्र में अवैध खनन की प्रवृत्ति बढ़ी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?